प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-27 सितम्बर, 2016

विषयः- **नेशनल लाइवस्टाक मिशन में चारा दाना विकास योजनान्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी उपलब्ध कराया जाना (के 60/लाभार्थी 40-के) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-261/चारा/3डी-64/श.चा./16-17, दिनांक-22.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-87/2016/1837/सैंतीस-2-2016-1(22)/2014, दिनांक-11.08.2016 द्वारा चारा दाना विकास योजनान्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी उपलब्ध कराया जाना (के 60/लाभार्थी 40-के) के अन्तर्गत रू0-15.22709 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। त्रुटिवश उक्त स्वीकृति (के 60/लाभार्थी 40-के) के फण्डिंग पैटर्न के अनुसार निर्गत हो गयी है, जबकि पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति योजना हेतु पूर्व में निर्धारित फण्डिंग पैटर्न (के 50/लाभार्थी 50-के) के अनुसार निर्गत होनी चाहिए। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक-11.08.2016 में अंकित फण्डिंग पैटर्न "(के 60/लाभार्थी 40-के)" के स्थान पर फण्डिंग पैटर्न "(के 50/लाभार्थी 50-के)" पढ़ा जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त शासनादेश दिनांक-11.08.2016 द्वारा निर्गत रू0-15.22709 लाख की वित्तीय स्वीकृति 50 प्रतिशत केन्द्रांश की जारी की गयी है तथा 50 प्रतिशत व्ययभार लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

2- वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश दिनांक-11.08.2016 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-97/2016/2074(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in